ई–मेल

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

निदेशक, बेसिक शिक्षा
बेसिक शिक्षा निदेशालय,
निशातगंज, लखनऊ।

पत्रांकः–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2021–22/ 9011 लखनऊ/दिनांक : 18-08-2021

विषयः–राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अर्न्तगत शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू मुक्त बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जैसा कि आप अवगत है कि प्रदेश के समस्त जनपदों में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अर्न्तगत सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 का अनुपालन कराया जा रहा है, जिसके क्रम में आपको अवगत कराना है कि भारत सरकार स्तर पर दिनांक 10.08.2021 को जारी **Global Youth Tobacco Survey (2021)** में उत्तर प्रदेश में युवाओं द्वारा तम्बाकू उपभोग 22 प्रतिशत है, जो कि देश के अन्य राज्यों से बहुत अधिक एवं युवाओं के भविष्य को देखते हुए विचलित करने वाला है।

उक्त के क्रम में कृपया भारत सरकार द्वारा तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान (Tobacco Free Educational Institution (ToFEI)) हेतु प्रदत्त आपरेशनल गाइडलाइन का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्मय से भारत सरकार द्वारा समस्त शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू मुक्त बनाये जाने हेतु दिशा–निर्देश प्रदान किये गये है।

अवगत कराना है कि जनपदों में संचालित राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अर्न्तगत तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान (Tobacco Free Educational Institution (ToFEI)) हेतु प्रदत्त आपरेशनल गाइडलाइन के अनुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय/जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से विद्यालय कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को तम्बाकू से होने वाली हानियों एवं सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के सम्बन्ध में जागरूक किया जा रहा है।

अतः भारत सरकार द्वारा तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान (Tobacco Free Educational Institution (ToFEI)) हेतु प्रदत्त आपरेशनल गाइडलाइन में दिये गये निर्देशों के अनुपालन एवं युवाओं के भविष्य को देखते हुए आपके अधीन कार्यरत समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय एवं राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा नामित स्वयं सेवी संस्था से सहयोग प्राप्त करते हुए समस्त शैक्षणिक संस्थानों को तम्बाकू मुक्त घोषित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें, जिसकी सूचना सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करवाने हेतु भी निर्देशित करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

18/8/2021

निदेशक (स्वास्थ्य)
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय,
स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

पत्रांकः–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2020–21/ तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को ई–मेल के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित :

1–अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2–मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
3–उप महाप्रबन्धक, एन0सी0डी0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ।
4–समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि आप उक्त निर्देशों का अनुपालन के क्रम में सम्बन्धित को सहयोग प्रदान करने एवं उक्त की सूचना अपने स्तर पर संकलित करवाते हुए महानिदेशालय की ई–मेल– nodal.ntcp.up@gmail.com पर प्रेषित करवाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संयुक्त निदेशक (स्वास्थ्य)

ई–मेल

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

निदेशक, बेसिक शिक्षा
बेसिक शिक्षा निदेशालय,
निशातगंज, लखनऊ।

पत्रांकः–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2021–22/ लखनऊ/दिनांक : 18-08-2021

विषयः–राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू मुक्त बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जैसा कि आप अवगत है कि प्रदेश के समस्त जनपदों में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अर्न्तगत सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 का अनुपालन कराया जा रहा है, जिसके क्रम में आपको अवगत कराना है कि भारत सरकार स्तर पर दिनांक 10.08.2021 को जारी **Global Youth Tobacco Survey (2021)** में उत्तर प्रदेश में युवाओं द्वारा तम्बाकू उपभोग 22 प्रतिशत है, जो कि देश के अन्य राज्यों से बहुत अधिक एवं युवाओं के भविष्य को देखते हुए विचलित करने वाला है।

उक्त के क्रम में कृपया भारत सरकार द्वारा तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान (Tobacco Free Educational Institution (ToFEI)) हेतु प्रदत्त आपरेशनल गाइडलाइन का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्मय से भारत सरकार द्वारा समस्त शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू मुक्त बनाये जाने हेतु दिशा–निर्देश प्रदान किये गये है।

अवगत कराना है कि जनपदों में संचालित राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अर्न्तगत तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान (Tobacco Free Educational Institution (ToFEI)) हेतु प्रदत्त आपरेशनल गाइडलाइन के अनुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय/जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से विद्यालय कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को तम्बाकू से होने वाली हानियों एवं सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के सम्बन्ध में जागरूक किया जा रहा है।

अतः भारत सरकार द्वारा तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान (Tobacco Free Educational Institution (ToFEI)) हेतु प्रदत्त आपरेशनल गाइडलाइन में दिये गये निर्देशों के अनुपालन एवं युवाओं के भविष्य को देखते हुए आपके अधीन कार्यरत समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय एवं राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा नामित स्वयं सेवी संस्था से सहयोग प्राप्त करते हुए समस्त शैक्षणिक संस्थानों को तम्बाकू मुक्त घोषित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें, जिसकी सूचना सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करवाने हेतु भी निर्देशित करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

निदेशक (स्वास्थ्य)
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय,
स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

पत्रांकः–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2020–21/9012-15 तद्‌दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को ई–मेल के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित :

1–अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2–मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
3–उप महाप्रबन्धक, एन0सी0डी0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ।
4–समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि आप उक्त निर्देशों का अनुपालन के क्रम में सम्बन्धित को सहयोग प्रदान करने एवं उक्त की सूचना अपने स्तर पर संकलित करवाते हुए महानिदेशालय की ई–मेल– nodal.ntcp.up@gmail.com पर प्रेषित करवाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संयुक्त निदेशक (स्वास्थ्य)